लापरवाही | वीआईपी रास्ते से बेरोकटोक गुजर रहे वाहन

प्रतिबंध के बावजूद धुआंधार तक पहुंच रहे लोग

जबलपुर। बरगी डैम में कई लोगों की डूबकर हुई दर्दनाक मौतों का दर्द व गूंज कम नहीं हुई थी कि अब फिर से भेड़ाघाट के धुआंधार में बड़े हादसे की आहट नजर आने लगी है। इसकी मुख्य वजह प्रतिबंध के बावजूद धुंआधार में नीचे घाट तक लोगों का वीआईपी रास्ते के नाके से गुजरकर घाट तक पहुंचाना है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है।

सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब शासन, प्रशासन की गाइड लाइन स्पष्ट है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी किनारे के जितने भी तट या घाट हैं, वहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो फिर स्थानीय जिम्मेदारों की मिलीभगत से शासकीय गाइड लाइन की धज्जियां किसकी सह में उड़ाई जा रही है।। भेड़ाघाट के स्थानीय निवासियों ने बताया कि स्थानीय पार्षद सजल तिवारी, सीएमओ विक्रम झारिया की मिली भगत से सारे नियम कानून दरकिनार किये जा रहे हैं। लोगों द्वारा सामने लाई गई तस्वीरों से तो साफ है कि वीआईपी रास्ते से नाके का गेट खोलकर लोगों के चार पहिये वाहनों को प्रवेश प्रतिबंध के बाद भी दिया जा रहा है और उनसे उगाही की जा रही है।

प्रशासन के एक्शन का इंतजार

इस संबंध में सीएमओ और पार्षद ने अपनी सफाई दी है लेकिन हैरानी की बात तो पार्षद का जवाब रहा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि घाट तक गांव वाले जा सकते हैं, मतलब गांव वालों की जान सस्ती हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन के आला अफसर इस गंभीर मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं लेकिन तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो अपने आपमें सारी हकीकत बयां कर रहा है।

इनका कहना है

अभी कुछ दिन पहले भोपाल से पी डब्ल्यूडी के अधिकारियों की टीम आई थी, जो की वीआईपी रास्ते से होते हुए भेड़ाघाट के नीचे घाट तक गई थी। पार्षद सजल तिवारी ने वीआईपी रास्ते के नाका प्वाइंट के गेट को खोलने मेरे से कभी गुजारिश नहीं की। ये सभी आरोप निराधार हैं। सभी का इस रास्ते से अभी प्रवेश वर्जित है।

विक्रम झारिया, सीएमओ, नगर परिषद भेड़ाघाट

मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब मिथ्या हैं। नीचे घाट तक भेड़ाघाट के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि आसपास के गांव वाले वहां जा सकते है। क्योंकि ये घाट के पास अलग अलग दुकानें लगाते हैं। इन्हीं लोगों को समझाने कभी कभी हमें भी नीचे जाना पड़ता है।

सजल तिवारी, स्थानीय पार्षद

स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा

जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सिंह ने तहसीलवार स्वामित्व योजना कार्यों की प्रगति, भूमिस्वामियों की ई-केवाईसी तथा आगामी शिविरों की तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों द्वारा तहसीलवार ई-केवाईसी की स्थिति प्रस्तुत की गई। उन्होंने कम प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्यों को गति देने के लिए संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र के पात्र भूमिस्वामियों की सूची तैयार करें। जिन भूमिस्वामियों की ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें चिन्हित कर प्रक्रिया पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों में कनेक्टिविटी अच्छी है वहां आवश्यकता अनुसार एडीओ, पीसीओ संबंधित अधिकारियों को बैठाकर ईकेवाइसी सहित स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यक्रमों में सहायता उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अपर कलेक्टर नीता राठौर, शैलेंद्र सिंह एवं अखिलेश सिंह सहित सभी एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

पीएम के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना के लिए जलेंगे एक लाख दीप

जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं उनके 25 वर्षों की अविरल सेवा संकल्प की यात्रा को जन- जन तक पहुंचाने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के शुभारंभ अवसर पर 17 सितंबर को गौरीघाट में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।

आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संस्कृति थिएटर, भंवरताल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों को मिला है। 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं के लाभार्थियों एवं आम नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की जाएगी। गौरीघाट में एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भी लाभार्थियों के घर-घर जाकर दीप प्रज्ज्वलित करने की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं, शासकीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, नगर निगम, जिला पंचायत एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। गौरीघाट में दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रारंभ होगा। कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए कंट्रोल रूम से आचार्यों एवं पंडितों द्वारा शंखनाद किया जाएगा। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार एवं गायत्री मंत्र का पाठ होगा। कार्यक्रम में गायत्री परिवार सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की सहभागिता रहेगी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बैठक में बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि पहले अधिकारियों को सुबह 11 बजे पहुंचना था, लेकिन अब संबंधित विभागों को उनके निर्धारित सेक्टरों में ही आवश्यक

सरपंच पद के उप चुनाव : 29 सितंबर को मतदान, 3 को परिणाम

ईव्हीएम का डीईओ स्तर पर रेंडमाइजेशन

जबलपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 के जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले की जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत दर्शनी और जनपद पंचायत कुण्डम की ग्राम पंचायत देवहरा के सरपंच पद के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर ईव्हीएम मशीनों की रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई।

जिला जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत दर्शनी और जनपद पंचायत कुण्डम की ग्राम पंचायत देवहरा के सरपंच के रिक्त पद के चुनाव के लिए मंगलवार 29 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीनों के माध्यम से कराये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर रेंडमाईजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद ईव्हीएम मशीनों का रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर रेंडमाइजेशन 19 सितम्बर को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में होगा तथा कमिशनिंग का कार्य 23 सितम्बर से 25 सितम्बर तक किया जायेगा। ज्ञात हो कि सरपंच पद के उप चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईव्हीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चैकिंग का कार्य 10 सितम्बर से 12 सितम्बर के बीच की जा चुकी है। निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अभ्यर्थी भी उपस्थित थे।

केशव नगर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का पथ संचलन

नवभारत,जबलपुर। युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के विश्व विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केशव नगर द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का भव्य पथ संचलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नर्मदा भाग प्रचारक शशिकांत जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मनोज खंडेलवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर केशव नगर के बड़ी संख्या में महाविद्यालयीन विद्यार्थी पथ संचलन में सहभागी बने। पथ संचलन स्नेह नगर स्थित इंद्रा पार्क से प्रारंभ होकर मदन महल मेन रोड, रानीताल चौक, यादव कॉलोनी होते हुए पुन: इंद्रा पार्क में संपन्न हुआ।

कार से सवा दो लाख की अंग्रेजी शराब जब्त

दो सप्लायरों को दबोचा ग्वारीघाट का मुख्य तस्कर फरार

जबलपुर। माढ़ोताल पुलिस ने हाईकोर्ट लिखी कार से शराब की सप्लाई करने वाले दो शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 251 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख 25 हजार रुपये है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर की कार और मोबाइल भी जब्त किए हैं।

माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बसा में प्रियांश अग्निहोत्री के घर के सामने सड़क पर एक सफेद रंग की संदिग्ध कार खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लोड है। सूचना पर दबिश दी। पुलिस की गाड़ी देखकर कार के पास खड़े दो युवकों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 19 कार्टून बरामद हुए, जिनमें शराब भरी हुई थी। पकड़े गए प्रियांश अग्निहोत्री 28 वर्ष निवासी बसा और आशुतोष उर्फ चुंगा यादव 22 वर्ष निवासी मड़ई, रांझी से पूछताछ हुई तो आरोपी प्रियांश ने बताया कि उसने करीब 10 दिन पहले ग्वारीघाट निवासी अर्जुन केवट से 25 पेटी अंग्रेजी शराब बेचने के लिए मंगवाई थी। अर्जुन का ड्राइवर आशुतोष उर्फ चुंगा बिना नंबर की गाड़ी से यह माल प्रियांश के घर छोड़ गया था। वे इस शराब को किसी दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट करने वाले थे। आरोपी शातिराना तरीका अपना रहे थे। जब्त की गई सफेद रंग की सुजुकी फ्रॉन्क्स कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

एक नजर में

हार्पिक पीने से मासूम की मौत

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत खजरी खिरिया वायपास निवासी एक मासूम की हार्पिक पीने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शानू बर्मन 6 वर्ष निवासी खजरी खिरिया वायपास माढ़ोताल द्वारा हार्पिक पीने के कारण तबियत खराब होने पर पिता कृष्णकुमार बर्मन उसे आनन फानन में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान शानू बर्मन की मौत हो गई । पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

युवक पर चाकू से हमला

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत सिंधी केम्प में शराब पीने के लिए रूपए न देने पर बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवानी रैदास 26 वर्ष निवासी सिंधी केम्प हनुमानताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पड़ोस का तुषार जाटव उसके घर के सामने आकर उससे शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगने लगा, उसने रूपये देने से मना किया तो चाकू से हमलाकर वायें हाथ की कोहनी में चोट पहुँचा दी। जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया।

मंथनश्री का राष्ट्रीय अलंकरण समारोह 20 को

जबलपुर। मंथनश्री सृजन संस्कृति संगीत समिति का वार्षिक महोत्सव, राष्ट्रीय अलंकरण एवं कृति विमोचन समारोह 20 सितंबर को शाम 4 बजे कला वीथिका, रानी दुर्गावती संग्रहालय में होगा। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहचान बनाने वाली देशभर की विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही 'राष्ट्रीय पितृ नमन' साझा काव्य संग्रह और अमरेंद्र नारायण की तीन कृतियों 'सम्मान पथ', 'उत्साह तुम्हारा अभिनंदन' एवं 'देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद' का विमोचन होगा। मुख्य अतिथि डॉ. कपिल देव मिश्र होंगे, अध्यक्षता आचार्य भागवत दुबे करेंगे, जबकि जगद्गुरु स्वामी बालगोविंदाचार्य महाराज आशीर्वचन देंगे।

नहर में गिरा 12 चक्का हाइवा, चालक-क्लीनर को सुरक्षित निकाला

जबलपुर। सोनतलाई के पास बुधवार शाम सड़क निर्माण कार्य में लगा एक बिना नंबर का 12 चक्का हाइवा अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरा। हादसा सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ। गनीमत यह रही कि समय रहते हाइवा के चालक और क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा टल गया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोनतलाई के पास इन दिनों सड़क निर्माण का काम चल रहा है। बुधवार की शाम करीब 5:50 बजे एक बिना नंबर का 12 चक्का हाइवा निर्माण कार्य के लिए गिट्टी लादकर आ रहा था। इसी दौरान सोनतलाई के पास अचानक सामने से एक दूसरा वाहन आ गया। उसे बचाने के चक्कर में हाइवा चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और रफ्तार तेज होने के कारण भारी-भरकम हाइवा सीधे पास की नहर में पलट गया। हाइवा के नहर में गिरते ही वहां हड़कंप मच गया।

आस-पास मौजूद लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। नहर में पानी का स्तर और बहाव अधिक होने के कारण शुरुआती रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आईं। इसके बावजूद टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए हाइवा चालक अजय बर्मन और उनके कंडक्टर को सूझबूझ से पानी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया लेकिन नहर में डूबे 12 चक्का हाइवा को बाहर निकालना चुनौती बना हुआ है। रात करीब 8:44 बजे तक समाचार लिखे जाने तक मौके पर बड़ी क्रेन बुलाई के जरिए हाइवा को पानी से बाहर खींचने का काम लगातार जारी रहा।

महापौर-निगमायुक्त ने लिया माल गोदाम व गीता भवन का जायजा

जबलपुर। अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर को भव्य और गरिमामय ढंग से मनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का स्थल निरीक्षण किया और तैयारियों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर एवं निगमायुक्त सबसे पहले मालगोदाम स्थित प्रतिमा स्थल पहुंचे। उन्होंने वीर शहीदों की प्रतिमा परिसर की साफ-सफाई, रंग-रोगन, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों का बारीक निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने गीता भवन का रुख किया, जहाँ आयोजित होने वाले मुख्य सांस्कृतिक एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की रूपरेखा, बैठक व्यवस्था का अवलोकन किया। मालगोदाम चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर विशेष रोशनी आदि की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा पेयजल की माकूल व्यवस्था के निर्देश दिए गए। प्रतिमा स्थल से लेकर गीता भवन तक पहुँच मार्गों पर निरंतर विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया है।

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ परिवाद खारिज

जबलपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने परिवहन व स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान संबंधी परिवाद खारिज कर दिया। परिवादी नरसिंहपुर निवासी कौशल सिलावट ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त, 2024 को गाडरवारा से चीचली तक निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री वाहन के बोनट पर खड़े थे और

तिरंगा इस तरह लगाया गया था कि वह उनके पैरों को छू रहा था। इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपराध बताया गया था। मंत्री की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि संबंधित वाहन उनका शासकीय अथवा निजी वाहन नहीं था और न ही उन्होंने तिरंगा लगाया था। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत फोटो में वाहन नंबर नहीं है और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि तिरंगा मंत्री ने स्वयं या उनके निर्देश पर लगवाया था। वीडियो भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए मंत्री के खिलाफ संज्ञान लेने योग्य पर्याप्त आधार नहीं मिला और परिवाद खारिज कर दिया गया।

5 साल की मासूम का अपहरण कर दरिंदगी

जबलपुर। मझगवां निवासी एक पांच साल की मासूम का अपहरण कर किशोर ने हैवानियत करते हुए दरिंदगी की। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे बाल गृह भेज दिया गया है। टीआई शंकर सिंह ने बताया कि पांच साल की बच्ची अपने नौ वर्षीय भाई के साथ गणेश प्रतिमा देख रही थी तभी उसका भाई पंडाल के अंदर चला गया इसी बीच गांव का 15 वर्षीय बालक उसका अपहरण करके मरघटाई के पास ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया। हैवानियत को जब पीड़िता के भाई ने देखा तो आरोपित ने उसे धमकाया। इसके बाद भाई-बहन सीधे घर पहुंच गए। जिसके बाद उन्होंने आपबीती परिजनों को सुनाई। मां बच्ची को थाने लेकर पहुंची। बच्ची की मेडिकल जांच के बाद आरोपित के खिलाफ अपहरण, पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया ।

63 साल पुराना मिलौनीगंज चौक का ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट

नवभारत,जबलपुर। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत व्यस्ततम मिलौनीगंज चौक पर पिछले 63 वर्षों से स्थापित भारी-भरकम ट्रांसफार्मर को अंततः सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय के सतत प्रयासों और जनहित के संकल्प के चलते यह ऐतिहासिक कार्य पूर्ण हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के हटने से क्षेत्रवासियों और व्यापारियों को दशकों पुरानी ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी। मिलौनीगंज चौक व्यापारिक दृष्टि से शहर का बेहद महत्वपूर्ण और सघन केंद्र है। वर्ष 1960 के दशक से स्थापित यह ट्रांसफार्मर सड़क के बीचों-बीच यातायात संचालन और मार्ग चौड़ीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बना हुआ था। इसके कारण दिनभर चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लगती थीं, दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता था और स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित होता था। विधायक की सक्रियता से तकनीकी जटिलताओं को दूर करते हुए कर्मचारियों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मर को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया। ट्रांसफार्मर के पूरी तरह हटने के बाद स्थानीय रहवासियों और व्यापारी संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई।

याचिका खारिज | खारिज की गई मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका

अवैध उत्खनन पर साढ़े चार सौ करोड़ के प्रस्तावित जुर्माना में हाईकोर्ट से राहत नहीं

जबलपुर। अवैध उत्खनन के मामले में प्रस्तावित साढे चार सौ करोड़ रुपये के जुर्माने की कार्यवाही के खिलाफ मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस वी पी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को चार माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करने निर्देश जारी किये है।

याचिकाकर्ता कंपनी आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके द्वारा जबलपुर की तहसील सिहोरा के अंतर्गत आने वाले गांव टिकरिया और गांव प्रतापपुर में स्थित लौह अयस्क खदानों के लिए माइनिंग लीज के आधार पर खनन कार्य किया जा रहा है। टिकरिया ग्राम में 20.002 हेक्टेयर जमीन की माइनिंग लीज 2 अप्रैल1987 से 1 अप्रैल 2037 तक की अवधि के लिए दी गई थी। इसी प्रकार ग्राम प्रतापपुर में क्षेत्रफल 11.578 हेक्टेयर क्षेत्रफल 21 जुलाई 1978 से 20 जुलाई 2028 तक की अवधि के लिए दी गई थी। राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2025 के आदेश के तहत एक जांच समिति का गठन किया। जिसने 2004-2017 की अवधि के दौरान कथित तौर पर निर्धारित से अधिक खनन के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर उनकी कंपनी को 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। टिकरिया खदान में 1,13,81,94,280 रूपए, प्रतापपुर के मामले में 1,20,69,41,910 रुपये की वसूली का प्रस्ताव दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि पूरी कार्यवाही अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी तरीके व कानून के खिलाफ की गयी है। जांच समिति का गठन किसी कानूनी प्रावधान या सही तरीके से सौंपे गए कानूनी अधिकार के तहत नही किया गया है।

इसलिए उनकी रिपोर्ट माइनिंग एक्ट, 1957 की धारा 21(5) के तहत कार्यवाही का आधार नहीं बन सकती। यह तर्क दिया गया है कि धारा 21(5) खनिज की कीमत, रॉयल्टी या टैक्स वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को देती है और कलेक्टर बिना किसी खास अधिकार के ऐसा अधिकार-क्षेत्र नहीं अपना सकते। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि कार्यवाही पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी कानूनी उपाय है। जिसमें लागू खनन कानून के तहत उचित अपील का उपाय भी शामिल है। याचिकाकर्ता को पहले कलेक्टर के सामने कार्यवाही में शामिल होना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि जांच रिपोर्ट में ही कलेक्टर को पूरी रकम वसूलने का निर्देश दिया गया है, तथ्यों के हिसाब से गलत है।

रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अंतिम फैसला या वसूली का आदेश नहीं है, बल्कि यह सिर्फ इस नतीजे को दर्ज करती है कि सक्षम अधिकारी के सामने कार्यवाही के अधीन जीएसटी के साथ 4,43,04,86,890 रुपये की रकम जमा करना उचित होगा। याचिकाकर्ता पर अभी तक कोई अंतिम दायित्व नहीं डाला गया है। याचिकाकर्ता का जवाब सुनने और सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद जिला कलेक्टर कानून के अनुसार विवाद पर फैसला करने के लिए सक्षम है। याचिकाकर्ता का अपना अंतरिम जवाब भी बताता है कि कलेक्टर के सामने कारण बताओ नोटिस पर अभी भी बहस चल रही है और याचिकाकर्ता ने उसमें अपनी आपत्तियां उठाई हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्टर के सामने अभी शो-कॉज नोटिस की कार्रवाई चल रही है।

अधिक खनन, राशि की गणना और कानून से जुड़े सवालों पर पहले सक्षम अधिकारी को निर्णय करना है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर के लिए बाध्यकारी नहीं है। कलेक्टर कंपनी की आपत्तियां, जांच रिपोर्ट और संबंधित रिकार्ड देखकर कानून के अनुसार स्वतंत्र फैसला करेंगे। अंतिम आदेश से असंतुष्ट होने पर कंपनी को उपलब्ध वैधानिक अपील का अधिकार रहेगा। संबंधित कंपनी विधायक संजय पाठक के परिजनों की है।